श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

GOVERNMENT BILL

The Citizenship (Amendment) Bill, 2005—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Further consideration on the Citizenship (Amendment) Bill, 2005. Hon. Minister to reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कल यहां सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल पर जो चर्चा हुई थी, उसमें हमारे विद्वान सांसदों ने उतनी ही उत्सुकता ज़ाहिर की थी, उतना ही उत्साह ज़ाहिर किया था जितना पूरे विश्व में हमारे प्रवासी भारतीयों ने ज़ाहिर किया था। पूरे विश्व के प्रवासी भारतीय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत की संसद कब इस ऐक्ट को पास करके उनकी सारी मुश्किलों को कम करेगी और उन्हें अपने राष्ट्र हिंदुस्तान में आने के लिए, बार-बार आने के लिए, बिना किसी व्यवधान के आने के लिए और लंबे समय तक रहने के लिए अनुमति प्रदान करेगी। मैं अपने माननीय सांसदों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी इस विषय पर लगभग सहमति ज़ाहिर की है। कुछ थोड़े से क्लेरिफिकेशंस हमारे कुछ विद्वान सांसदों ने इस विषय पर मांगे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे विद्वान सांसद श्री नारीमन जी ने सैक्शन 7(ए) के "subject to such conditions and restrictions" के बारे में आशंका व्यक्त की है और कहा है कि इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यपालिका को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी इस ऐक्ट में केवल एक कंडीशन उपरोक्त रूल के अंतर्गत लगाई गई है कि जिस देश का वह नागरिक है, वह देश किसी भी रूप में दोहरी नागरिकता एलाऊ करता हो। केवल यही एकमात्र कंडीशन रखी गई है। जिस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा, हम उस देश को इसमें शामिल कर रहे हैं। अभी हमें 71 देशों से स्पष्टीकरण प्राप्त हो पाया है, आने वाले समय में हमें और देशों से स्पष्टीकरण प्राप्त होगा, तब हम उन देशों को भी इस सूची में शामिल कर लेंगे।

उपसभापति महोदय, सामान्य तौर पर ऐसे प्रोविजन भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए रखे जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा ऐक्ट हो, जिसमें इस तरीके का प्रोविजन न रखा गया हो। चूंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात भी बदलते रहते हैं, इसलिए प्रत्येक छोटे-छोटे परिवर्तन के लिए कोई भी सरकार हाऊस में नहीं आती है। यह अधिकार कार्यपालिका के लिए ही छोड़ दिया जाता है कि अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो

वह उसका उपयोग कर सकती है। फिलहाल हमारी ओर से ऐसी कोई दूसरी कंडीशन इस ऐक्ट में नहीं लगाई गई है, केवल एक कंडीशन लगाई गई है, जिसको मैंने स्पस्ट कर दिया है।

उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि OCI भारतीय संविधान के प्रति oath क्यों नहीं लेगा। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि OCI status कोई नागरिकता नहीं है। यह तो बोलचाल की भाषा में उनको दोहरी नागरिकता देने की बात कही जाती है, यह कोई नागरिकता नहीं है। हम उनको अपने देश का नागरिक नहीं बनाने जा रहे हैं। इससे भारत में उनको केवल वह अधिकार प्राप्त हो रहा है, जिस अधिकार के लिए लंबे समय से हमारे प्रवासी भारतीय तरसते रहे हैं कि वे किसी भी उद्देश्य से, किसी भी समय, कितनी भी अवधि के लिए भारत आ सकते हैं। OCI मिलने के बाद वह अपने मूल देश का ही नागरिक रहेगा, जहां की नागरिकता उसने ग्रहण कर ली है, वह उसी देश का नागरिक रहेगा और चूंकि वह अपने मूल देश का नागरिक रहेगा, इसलिए भारत के संविधान के प्रति वह oath नहीं ले सकता है। इसके लिए उसकी नागरिकता का देश भी विरोध कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब हम ओसीआई को किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं देने जा रहे हैं वे संसद का, विधान सभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वे संविधान के प्रति ओथ लें। हमारे मित्र आनन्द शर्मा जी ने इस बिल पर ...(**व्यवधान**)...

श्री यशवंत सिन्हा (झारखण्ड): सर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: क्लैरिफिकेशन बाद में पूछ लीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ रहा हूं। अभी इन्होंने वक्तव्य में ओसीआई की बात कही। ओसीआई, ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया, यह बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। जब आप किसी कानून में इसका उल्लेख करते हैं, तो वह बोलचाल की भाषा नहीं रहती, फिर वह एक लीगल टर्म बन जाती है। आप इसे ध्यान में रखें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: थैंक यू। कल हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी ने कहा था कि क्योंकि साउथ अफ्रीका और मलेशिया के संविधान हमारी इस व्यवस्था को अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए 16 देशों की सूची में उन देशों को शामिल नही किया गया था। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका में यह व्यवस्था है। उनका संविधान इसकी अनुमति देता है। मलेशिया के सम्बन्ध में अभी हमारे पास स्पष्ट नही हो पाया है कि उनका संविधान इस तरह की अनुमति देता है या नहीं देता है। मैंने इस चीज़ का उल्लेख केवल इसलिए किया, क्योंकि कल यह मुद्दा आया था और माननीय आनन्द शर्मा जी ने स्पष्ट करने की कोशिश की थी, आज मैं उसे इस सूचना के साथ ज्यादा स्पष्ट कर रहा हूँ ।

हमारे माननीय सदस्य श्री अजय मारू जी ने कुछ आपत्तियाँ उठाई थीं और यह कहा था कि 16 देशों से बढ़ा कर दुनियां के दूसरे देशों के लिए यह सुविधा क्यों की जा रही है? उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी इस व्यवस्था का फायदा उठा सकते हैं। श्री मारू के अलावा हमारे बहुतेरे संसद सदस्यों ने इस बात के लिए आशंका व्यक्त की थी कि इस प्रावधान से हमारे देश की इंटर्नल सिक्युरिटी को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा।

पुराने एक्ट के लागू होने के बाद पूरी दुनिया में जितने प्रवासी भारतीय थे, उनसे रिप्रिजेंटेशंस प्राप्त हो रहे थे कि जब आपने 16 देशों के लिए यह प्रथा लागू कर दी है, यह एक्ट लागू कर दिया है और वे 16 के 16 देश धनी देश हैं तो अगर कोई प्रवासी भारतीय गरीब देश में है, तो उस प्रवासी भारतीय को इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या केवल धनी देशों के लिए आपने यह इसलिए लागू किया है कि इसको आपने भावनात्मक रिश्ते से नहीं जोड़ा है, विशुद्ध आर्थिक रिश्ते से जोड़ा है? भावनात्मक रिश्ता भी साथ होना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सरकार इसे केवल आर्थिक रिश्ते से ही नहीं जोड़ती है। आर्थिक आवश्यकताएँ तो हैं ही, 21 वीं सदी में आर्थिक आवश्यकताओं को नकारा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे भावनात्मक रिश्ते भी हैं। इसलिए हमारी सरकार ने यह जरूरी समझा कि पाकिस्तान और बंग्लादेश को छोड़ कर दुनिया के जिस भी देश में इस तरह का प्रावधान होगा, हम उस देश को इस सूची में शामिल करेंगे। फिलहाल 71 देशों के लिए हमने यह व्यवस्था लागू की है। जैसे-जैसे हमारे पास अन्य देशों से यह सूचना प्राप्त होती जाएगी कि उनके यहां इस तरह का प्रावधान है, उन-उन देशों को इस सूची में शामिल करते जाएँगे, केवल दो देशों को छोड़ कर।

इस नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005 में यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि कोई भी गलत व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता। ऐसा व्यक्ति, जिसका किसी प्रकार का इंवाल्वमेंट मोरल टर्पिच्युट में हो, ड्रग ट्रैफिकिंग में हो, टेरोरिज्म में हो या एक साल या ज्यादा की सजा उसे हो चुकी हो। उस के आवेदन पर गृह मंत्रालय के अधीन सेक्युरिटी एजेंसीज से जांच कराने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हर आवेदन की फ्री और ठोस जांच करायी जाएगी, महोदय, मैं ने जो आवेदन बताए हैं, इनके अलावा भी जितने आवेदनों को स्वीकृति दी जाएगी, उनकी जांच अवश्य करायी जाएगीं महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा भावना व्यक्त की गयी कि इस विषय के अंतर्गत ओ॰सी॰आई॰ को दिए जाने वाले लाभ पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें यह भी आशंका है कि क्या ओ॰सी॰आई॰ को टैक्स benefit दिए जाएंगे? इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ओ॰सी॰आई॰ को वे सभी अधिकार फिलहाल दिए गए हैं, जो एन॰आर॰आई॰ को हैं एन॰आर॰आई॰ वे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, किंतु विदेशों में रहकर अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। ओ॰सी॰आई॰ को नए अधिकार दिए जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन

अफेयर्स को अधिकार दिया जा रहा है जो उसमें आवश्यक विस्तार करने के लिए अधिकृत होंगे। उन्हीं की मिनिस्ट्री को यह अधिकार प्राप्त है और वह जैसा चाहेंगे वैसा कर सकेंगे।

माननीय नारायणसामी ओर कुरियन जी तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि ओ॰ सी॰ आई॰ को वोटिंग का अधिकार भी होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) सर, यह ओ॰ सी॰ आई॰ क्या है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: overseas Citizen of India ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) We know NRI, we know PIO, but what is OCI? ...(*Interruptions*)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: सर, पूरी चर्चा में यह ओ॰ सी॰ आई॰ शब्द बिल्कुल नहीं आया है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं यह जो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं ...(व्यवधान)...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: (Kerala) Sir, we are demanding for NRIs, not for OCIs. Sir, the demand was for the NRIs.

SHRI JAIRAM RAMESH: What is this new category of OCI? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will be addressed separately.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, the hon. Minister is misleading the House. He is talking about the right to vote for the OCIs. We are not demanding for OCI ...(*Interruptions*)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह बिल में है। ...(व्यवधान)... यदि आप पी॰ आई॰ ओ॰ ज्यादा अच्छा मानते हैं तो पी॰ आई॰ ओ॰ मान लीजिए।..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please allow the hon. Minister ...(*Interruptions*)... No, no, this is not correct. Allow the hon. Minister to speak . A question has been asked. Allow the hon. Minister to tell as to what is OCI.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)... उन्हें वे सारे अधिकार दिए गए हैं जो एन॰ आर॰ आई॰ को हैं। यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Are OCIs and NRIs same?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: जो अधिकार एन॰ आर॰ आई॰ को दिए गए हैं ...(व्यवधान)...

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We are talking about NRIs and not about OCIs ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: What is this OCI?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह बिल में है, अगर आप बिल को डिटेल्स में देखेंगे तो यह बिल में है।

PROF. P. J. KURIAN (Kerala): The terminology is used in the Bill ...(*Interruptions*)... You please read the Bill ...(*Interruptions*)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप कृपया बिल का क्लॉज 7 देखें, आप को वह शब्द मिल जाएगा ...(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Definition of OCI is given. Why are we debating so much? ...(*Interruptions*)... There is no issue. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, my point is ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your point will be is taken later.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, माननीय कुरियन जी और माननीय नारायणसामी जी ने मांग की है कि वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब इन को हम कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दे रहे हैं, जब हम इन को संसद, विधान सभा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो वोटिंग का अधिकार देने का औचित्य क्या है? इस के बारे में स्टैंडिंग कमेटी और ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you an opportunity. ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, you are the chief Whip, you should help the Chair ...(*Interruptions*)...

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We are demanding voting rights for NRIs ...(*Interruptions*)...We have demanded the right to vote for NRIs ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can seek clarification once he concludes. In this way, we will not be able to conclude this debate. Let the hon. Minister say whatever he wants to say. After that, if there is any clarification, I will allow you.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, इस सम्बन्ध में 2003 में संसद में पूरी चर्चा हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई थी और यह आम सहमति बनी थी कि इस तरह का अधिकार देना उचित नहीं है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा प्रश्न उठाया था कि इन्हें कृषि और बागवानी हेतु भूमि अधिग्रहण का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है सर, ये दोनों क्षेत्र स्टेट के सब्जेक्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट की सहमति के बगैर इस तरह का कोई अधिकार भारत सरकार नहीं दे सकती है।

माननीय श्री नन्द किशोर यादव जी ने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इस एक्ट से क्यों वंचित रखा गया है? हालांकि श्री नन्द किशोर जी ने जो बात कही थी, हम उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को भी वही अधिकार दे दें जो अधिकार हम दुनियां के दूसरे अप्रवासी भारतीयों को दे रहे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के बँटवारे से बने हैं। वहाँ जो लोग गए हैं, वे अपनी स्वेच्छा से गए हैं। इसलिए उन्हें भारत की दोहरी नागरिकता देने का कोई औचित्य भी नहीं हैं और न ही कोई लॉजिक है कि उनको दोहरी नागरिकता दी जाए। अन्य देशों में जो लोग गए हैं, वे अपनी जीविका की खोज में गए हैं । भारत के साथ उनका भावनात्मक लगाव है। वे भारत में आकर अपनी तमाम सामाजिक गतिविधियाँ करना चाहते हैं और पूँजीनिवेश भी करना चाहते हैं।

चर्चा में माननीय सदस्या श्रीमती चंद्रकला पांडे जी द्वारा यह कहा गया कि एन॰आर॰आई॰ जब विदेशों, खास तौर से खाड़ी देशों में जाते हैं तो सोशल सेक्योरिटी फंड में पैसा जमा करते हैं, जो वर्कर्स के काम नहीं आता है। यह हमारे बिल की परिधि के बाहर है। इस संबंध में माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिया है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को उनके सुझाव से अवगत करा दूंगा और अगर वे कुछ करना चाहें तो इस संबंध में कर सकते हैं, यह अधिकार उनको होगा। माननीय सदस्य, मैं खत्म तो कर दूँ लेकिन एक-दो चीजें ऐसी हैं, हालाँकि वे हैं नहीं। ....(व्यवधान)...

माननीय सदस्य श्री एन॰ के प्रेमचन्द्रन जी ने यह पूछा था कि केरल में रह रहे कतिपय ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको भारत की नागरिकता देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? सर, इस बात का भी इस बिल से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकरण में केरल की राज्य सरकार से कुछ सूचनाएँ मांगी गई थीं। सर, नागरिकता देने के संबंध में जब तक किसी स्टेट गवर्नमेंट की कन्सेंट नहीं आती है, तब तक भारत सरकार किसी को भी नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर केरल राज्य, जहाँ से हमारे माननीय सदस्य हैं, वहाँ की सरकार से कन्सेंट भिजवा देंगे, तो हम उस पर विचार करेंगे ...(व्यवधान)... इसी तरह माननीय सुश्री कुरियन जी ने कहा था कि NRIs को वोटिंग का राईट रिप्रिजेंटेशन ऑफ पीपुल्ज़ एक्ट में मिलना चाहिए। यह भी हमारी परिधि के बाहर है। इसमें भी हमारा विभाग कुछ नहीं कर सकता। इस बिल से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

SHRI MOTILAL VORA (Chhattisgarh): Let him complete.

PROF. P. J. KURIAN: Sir, the Minister concerned is sitting in the House. He can answer the question raised by me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If he chooses to answer, he will answer. (*Interruptions*)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सर, मैं फिर कहता हूँ कि ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक ऐसी सुविधा है। शायद आपने यह बिल देख लिया होगा जिसे विदेशों में बडी संख्या में बसे भारतीय मूल के लोग अपनी जीविका कमाने के लिए अपना देश छोड़कर गए एवं वहाँ की नागरिकता ले ली, किन्तु भारत के साथ उनका भावनात्मक सम्बन्ध बना हुआ है। भारत के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव बना हुआ है। वे बहुत ही उत्सुकता के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे भारत के माननीय विद्वान सासद कब उनको इस चीज को अनुमति देते हैं, कब उनके सारे व्यवधान समाप्त करते है, जिससे कि वे जब चाहें, जैसे चाहें और जितने दिनों तक चाहें, अपने प्यारे भारत में आकर अपनी गतिविधियाँ चला सकें।

सामाजिक गतिविधियों को चला सकें, भारत के आर्थिक उत्थान में अपना योगदान दे सकें। मैं इस पृष्ठभूमि में सदन के सभी सम्मानित सांसदों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को वे न केवल सर्वसम्मति से बल्कि ध्वनिमत से भी पारित करें, जिससे कि दुनिया के सारे देशों में यह संदेश जाये और सारे भारतीय प्रवासी इस बात से प्रसन्न हों कि भारत की संसद ने उनको वे अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जिनके लिए वे लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं।

PROF. P. J. KURIAN: Sir, with regard to the NRI voting issue, I want him to react. ...(*Interruptions*)... Sir, the hon. Minister is here. I want him to react.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, do you want to say something?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I am satisfied, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are satisfied!

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI JAGDISH TYTLER): With your permission, can I intervene, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, this a demand from the Chief Minister of Kerala as well as from my colleague, Prof. P. J. Kurian who has just

mentioned it. ...(*Interruptions*)... He has also written to me. ...(*Interruptions*)... And we are very seriously considering that. The change is required in just one sentence in the Representation of the People Act. We would be doing that. So, along with the NRIs, those who hold Indian passports that whenever they are present, when the election takes place, they will, subject to clearance from the Election Commission; we are considering their demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, be taken consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clauses 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL: Sir, I beg to move:

'That the Bill be passed.'

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN) in the Chair.

PRIVATE MEMBER'S BILLS

The Prevention of Pushing and Forcing Girl Child into Flesh Trade and Immoral Traffic Bill, 2005

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Bills for introduction. Shri K. B. Krishna Murthy. Not present.

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि 'बालिका